राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3998/2025

श्रीमति मनीषा यादव

–अपीलार्थी

बनाम

सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	25.08.2025
सुनवाई की दिनांक	:	11.09.2025
आदेश की दिनांक	:	11.09.2025
अपीलार्थी की ओर से	:	श्री बी.बी. शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी शाहिद उन्नाव खान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय–भोंकर, ब्लॉक–कोटकासिम में अध्यापक एल–2, हिंदी के पद पर कार्यरत था। प्रत्यर्थी विभाग ने प्रतिबंध अवधि में बिना सोचे–समझे और बिना अधिकार क्षेत्र के 22.7.2025 को स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण अध्यापक एल–2, हिंदी शाहिद उन्नाव खान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय– भोंकर, ब्लॉक कोटकासिम से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बासनी, मुंडावर, में किया गया, जो ब्लॉक से बाहर है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी का स्थानांतरण ब्लॉक से बाहर हो गया है, जबकि कोटकासिम ब्लॉक में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यूपीएस बघाना, बड़सरा में अध्यापक लेवल–2 हिंदी का पद अभी भी रिक्त है, लेकिन प्रतिवादी ने दिनांक 16.7.2025 की नीति के पैरा 10 और साथ ही 06.8.2025 के पैरा 2 की अनदेखी करते हुए अपीलार्थी का ब्लॉक से अवैध रूप से स्थानांतरण कर दिया क्योंकि अपीलार्थी की सेवा राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 2021 के नियम 6(III) के तहत माध्यमिक शिक्षा में स्थानांतरित नहीं हुई है और वह अभी भी पंचायत राज विभाग के अधीन है और उसका स्थानांतरण आदेश केवल संबंधित जिला परिषद की जिला स्थापना समिति के प्रस्ताव के बाद जारी किया गया है, इसलिए आरोपित स्थानांतरण आदेश भी राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है। अपीलार्थी ने स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद दिनांक 16.7.2025 की नीति के पैरा 15 के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष

अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अभी भी उन पर विचार नहीं किया गया। (अनुलग्नक–2)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दिनांक 22.7.2025 के आलौच्य आदेश को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को उसी ब्लॉक में निकटतम स्थान पर रिक्त पद के विरुद्ध नियमित वेतन और सभी लाभों के साथ शिक्षक एल–2, हिंदी के पद पर नियुक्त करने की अनुमति दी जावे तथा वैकल्पिक अपीलार्थी को शहीद उन्नाव खान राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय– भोंकर, ब्लॉक कोटकासिम में शिक्षक एल–2, हिंदी के पद पर बने रहने की अनुमति दी जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर चुका है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 15 दिवस की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष